भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1417

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

महिला श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण

1417. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में लागू किए जा रहे कानून, नियम और योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न और शोषण से संरक्षण के लिए लागू महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, घरेलू कर्मचारी और प्रवासी महिला श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व लाभ, समान वेतन और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु सरकार की भावी कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं को दिनांक 21.11.2025 को पूरे देश में लागू किया गया है; जिसमें वेतन संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 शामिल हैं।

वेतन संहिता, 2019 में किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में एक ही नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में महिला-पुरुष के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है।

जारी.....2/-

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 महिला कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की कार्य दशाओं को विनियमित करती है। इस संहिता में समस्त प्रतिष्ठानों में सभी समय व्यवस्थाओं में महिलाओं के कार्य करने के लिए उपबंध है जिसमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों, क्रेच सुविधाओं, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालयों, स्नानागार और लॉकर रूम की अलग-अलग व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया गया है, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिला कामगार भी शामिल हैं। इस संहिता में 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही बच्चा गोद लेने वाली या कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह का अवकाश है और मातृत्व अवकाश के बाद जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, दूरस्थ कार्य की अनुमति दी गई है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, में महिलाओं सहित कामगारों के विवाद के निपटान के लिए कार्यतंत्र का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। इस संहिता में कार्य समितियों और शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है।

कार्यस्थल पर उत्पीड़न और शोषण से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और निश्चिंत कार्य दशाएं प्रदान करना है। यह अधिनियम सभी महिलाओं को शामिल करता है, भले ही उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के कार्यस्थलों घरेलू कामगारों सहित संगठित या असंगठित कामगारों को इसकी सुरक्षा प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को कई एडवाइजरी जारी की गयी हैं।

*****